

15 $\frac{02}{22}$ आज यह पत्रावली पेश हुई। मूल
हाग अधम हाजरी अधम बरकी
में खारिज किया जाता है। अतः
प्रार्थना पत्र 212 RT-Act को आगे
चलाने का कोई औचित्य नहीं रहता
है। अतः प्रार्थना पत्र शी स्तर पर
खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र मूल
हाग के साथ संलग्न रहे। पत्रावली
फैसल 25 भाद होकर नम्बर से इस
होकर संश्लिष्ट पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (अलवर) राज०